भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या.	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	274669,09,88	250167,66,30
अल्पांश हित		9625,91,66	7943,82,20
जमा राशियाँ	3	3715331,24,17	3274160,62,54
उधार राशियाँ	4	433796,20,81	332900,67,03
अन्य देयताएँ व प्रावधान	5	411303,62,01	331427,10,24
योग		**4845618,54,65**	**4197492,34,43**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियाँ	6	213498,61,59	166968,46,05
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	134208,41,98	87346,80,31
निवेश	8	1595100,26,64	1228284,27,77
अग्रिम	9	2500598,98,67	2374311,18,12
अचल आस्तियाँ	10	40166,78,82	40078,16,81
अन्य आस्तियाँ	11	362045,46,95	300503,45,37
योग		**4845618,54,65**	**4197492,34,43**
आकस्मिक देयताएँ	12	1714239,51,59	1221083,11,09
वसूली के लिए बिल		56557,64,31	55790,69,54
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री अश्विनी कुमार तिवारी	**श्री स्वामीनाथन जे.**	**श्री अश्वनी भाटिया**	**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक (आईबी, टी एवं एस)	प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)	प्रबंध निदेशक (सीबी एवं जीएम)	प्रबंध निदेशक (आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष

श्री अल्पेश वाघेला

पार्टनर

सदस्य संख्या. : 142058

मुंबई

दिनांक : 21 मई 2021

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
'निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
'अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,45,87,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
[उपर्युक्त में 10,97,28,170 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 11,03,42,880 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) इन्हें 1,09,72,817 (पिछला वर्ष 1,10,34,288) वैश्विक रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है]		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	70882,27,64		66344,10,03	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6287,83,79		4538,17,61	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			77170,11,43		70882,27,64
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ#**				
	अथशेष	13943,12,45		9957,28,52	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1491,56,38		3985,83,93	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			15434,68,83		13943,12,45
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79115,47,05		79115,47,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			79115,47,05		79115,47,05
IV.	**निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	1119,88,09		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1928,19,63		1119,88,09	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			3048,07,72		1119,88,09

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V.	**विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित निधियां**				
	अथशेष	10224,02,47		7455,38,21	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	268,60,67		3069,98,94	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	202,20,77		301,34,68	
			10290,42,37		10224,02,47
VI.	**आय एवं अन्य आरक्षित निधियाँ***				
	अथशेष	52481,96,28		54405,42,03	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5499,71,21		3767,84,51	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	45,23,90		5691,30,26	
			57936,43,59		52481,96,28
VII.	**'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	23762,66,57		24653,94,08	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		379,57,78	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	185,31,79		1270,85,29	
			23577,34,78		23762,66,57
VIII.	**लाभ-हानि खाते का अधिशेष**		8096,54,11		(1361,74,25)
योग			**274669,09,88**		**250167,66,30**

समेकन पर पूंजी आरक्षित निधियाँ ₹ 203,02,24 हजार (पिछला वर्ष ₹ 176,58,27 हजार) इसमें शामिल है

शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

			31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**मांग जमा-राशियाँ**		
		(i) बैंकों से	5469,19,61	4750,67,24
		(ii) अन्यों से	283808,86,05	224677,63,39
	II.	**बचत बैंक जमा-राशियाँ**	1397501,44,70	1216783,00,49
	III.	**सावधि जमा-राशियाँ**		
		(i) बैंकों से	5492,77,67	6071,72,75
		(ii) अन्यों से	2023058,96,14	1821877,58,67
योग			**3715331,24,17**	**3274160,62,54**
ख	**I.**	**भारत में शाखाओं की जमा-राशियाँ**	3567926,84,86	3122567,41,87
	II.	**भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा-राशियाँ**	147404,39,31	151593,20,67
	योग		**3715331,24,17**	**3274160,62,54**

अनुसूची 4 - उधार राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**				
(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक		24956,00,00		34981,75,00
(ii)	अन्य बैंक		10678,34,70		10041,13,63
(iii)	अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		159271,91,86		11419,94,71
(iv)	पूंजीगत लिखत :				
	क. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)	29835,70,00		23535,70,00	
	ख. गौण ऋण	37629,90,00		32929,05,15	
			67465,60,00		56464,75,15
	योग		**262371,86,56**		**112907,58,49**
II.	**भारत के बाहर उधार-राशियाँ**				
	(i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त		169041,42,45		217066,00,49
	(ii) पूंजीगत लिखते :				
	क. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)	2193,30,00		2269,95,00	
	ख. अधीनस्थ ऋण एवं बॉन्ड	189,61,80	2382,91,80	657,13,05	2927,08,05
योग			**171424,34,25**		**219993,08,54**
कुल योग			**433796,20,81**		**332900,67,03**
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।			190279,61,10		50555,91,20

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	17728,51,70	26889,76,23
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	49,69,05	85,41,80
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1,23,54	10,35,41
IV.	उपचित ब्याज	15309,15,71	15477,09,06
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	3,70,81	6,60,61
VI.	बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयता	219027,87,65	159661,49,04
VII.	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	16005,37,56	12444,21,66
VIII.	अन्य (प्रावधान सहित)*	143178,05,99	116852,16,43
योग		**411303,62,01**	**331427,10,24**

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	23691,32,43	20334,94,93
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	189807,29,16	146633,51,12
	(ii) अन्य खातों में	-	-
योग		**213498,61,59**	**166968,46,05**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	1067,90,06	638,49,62
	(ख) अन्य जमा खातों में	3160,05,92	1429,61,02
	(ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि		
	(क) बैंकों में	47369,93,31	44747,71,31
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	8,69,42
योग		**51597,89,29**	**46824,51,37**
II.	भारत के बाहर		
	(i) चालू खातों में	64287,31,27	30104,93,22
	(ii) अन्य जमा खातों में	8587,68,13	1672,52,29
	(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9735,53,29	8744,83,43
	योग	**82610,52,69**	**40522,28,94**
कुल योग (I एवं II)		**134208,41,98**	**87346,80,31**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1139960,41,91	872769,55,20
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	27743,27,21	19106,17,68
(iii) शेयर	68972,62,29	42165,97,57
(iv) डिबेंचर और बांड	195147,76,61	145276,27,74
(v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित हैं)#	13209,01,04	12365,01,58
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	99038,40,57	85958,98,41
योग	**1544071,49,63**	**1177641,98,18**
II. भारत के बाहर निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकण सम्मिलित हैं)	21697,01,67	20791,80,59
(ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	145,62,73	147,64,44
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	29186,12,61	29702,84,56
योग	**51028,77,01**	**50642,29,59**
कुल योग (I एवं II)	**1595100,26,64**	**1228284,27,77**
III. भारत में निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1554398,52,92	1190907,75,38
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	10327,03,29	13265,77,20
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	**1544071,49,63**	**1177641,98,18**
IV. भारत के बाहर निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	51070,30,95	50809,67,49
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	41,53,94	167,37,90
निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	**51028,77,01**	**50642,29,59**
कुल योग (III एवं IV)	**1595100,26,64**	**1228284,27,77**
# सहयोगियों में निवेश (भारत में और भारत के बाहर)		
सहयोगियों में इक्विटि निवेश	9669,58,12	8872,23,62
जोड़ें : सहयोगियों के अधिग्रहण पर गुडविल	-	-
घटाएं : एसोसिएट के अधिग्रहण पर पूंजी रिज़र्व	981,48,87	1947,52,79
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान	-	-
एसोसिएट के निवेश में लागत	**8688,09,25**	**6924,70,83**
जोड़ें : अधिग्रहण के बाद लाभ/ (हानि) और एसोसिएट के रिज़र्व (इक्विटी विधि)	4662,54,53	5583,95,19
योग	**13350,63,78**	**12508,66,02**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल**	96263,84,05	85155,97,89
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्रॉफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	697691,68,91	729647,05,50
	III. सावधि ऋण	1706643,45,71	1559508,14,73
	योग	**2500598,98,67**	**2374311,18,12**
ख.	**I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)**	1784402,74,29	1697284,07,32
	II. बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	96691,34,81	92305,71,86
	III. अप्रतिभूत	619504,89,57	584721,38,94
योग		**2500598,98,67**	**2374311,18,12**
ग.	**I भारत में अग्रिम**		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	564570,85,92	526675,87,35
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	257246,23,86	287505,82,43
	(iii) बैंक	4833,33,50	975,10,49
	(iv) अन्य	1285608,47,38	1171958,80,62
योग		**2112258,90,66**	**1987115,60,89**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	80143,34,26	80561,91,32
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	35004,71,22	31106,22,11
	(ख) सिंडिकेट ऋण	184413,38,38	186697,53,45
	(ग) अन्य	88778,64,15	88829,90,35
योग		**388340,08,01**	**387195,57,23**
कुल योग	**(ग-I & ग-II)**	**2500598,98,67**	**2374311,18,12**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
		₹		₹	
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित पर	31094,35,54		31600,97,61	
	परिवर्धन:				
	- वर्ष के दौरान	81,64,96		307,09,16	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		3936,14,00	
	कटौतियाँ:				
	- वर्ष के दौरान	35,43,48		14,82,49	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	10,53,59		4735,02,74	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	- लागत पर	1043,45,83		927,92,12	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	850,52,10		670,54,22	
			29236,05,50		29495,89,20
II.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	36021,19,34		33185,43,15	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3753,83,35		3768,90,47	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	783,70,42		933,14,28	
	अद्यतन मूल्यह्रास	28686,49,53		26053,57,37	
			10304,82,74		9967,61,97
III.	पट्टे पर संपत्ति				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	240,38,84		155,09,22	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	74,34,19		102,00,56	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	25,87,40		16,70,94	
	अद्यतन मूल्यह्रास	131,13,19		95,49,35	
		157,72,44		144,89,49	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	-		-	
			157,72,44		144,89,49
III.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		468,18,14		469,76,15
योग	**(I, II, III एवं IV)**		**40166,78,82**		**40078,16,81**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	20540,95,39	1936,15,88
II. प्रोद्भूत ब्याज	-	-
III. अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	32770,84,89	29344,58,26
IV. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	26435,38,67	35004,45,14
V. लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	89,60,16	105,33,37
VI. दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	10,49,60	14,54,49
VII. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	7244,80,47	3500,19,46
VIII. नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास राखी गई जमाराशि	184093,45,48	163238,91,62
IX. अन्य #	90859,92,29	67359,27,15
योग	**362045,46,95**	**300503,45,37**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 1549,99,41 हजार शामिल (पिछला वर्ष ₹ 1549,98,82 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	79862,51,29	72055,46,41
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	2617,80,58	2555,80,84
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता	1029404,66,06	637499,92,10
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	173297,71,34	165739,85,02
(ख) भारत के बाहर	72991,10,08	70998,07,06
V. प्रतिग्रहण,पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	149014,00,66	132630,74,41
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	207051,71,58	139603,25,25
योग	**1714239,51,59**	**1221083,11,09**
संग्रहण के लिए बिल	**56557,64,31**	**55790,69,54**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2021 को समेकित लाभ हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या .	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.202 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	278115,47,67	269851,65,54
	अन्य आय	14	107222,41,38	98158,99,38
	योग		**385337,89,05**	**368010,64,92**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	156010,16,71	161123,79,86
	परिचालन व्यय	16	150429,59,53	131781,56,30
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		54618,40,87	56928,45,91
	योग		**361058,17,11**	**349833,82,07**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ/हानि वर्ष के लिए (एसोसिएट एवं आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं के लाभ में अंश के समायोजन से पूर्व)		24279,71,94	18176,82,85
	जोड़ें: सहयोगियों के लाभ में शेयर		(391,90,45)	2963,14,04
	घटाएँ: अल्पांश हित		1482,35,73	1372,16,67
	समूह का निवल लाभ / (हानि)		22405,45,76	19767,80,22
	आगे लाया गया लाभ / (हानि)		(1361,74,25)	(8328,39,99)
	योग		**21043,71,51**	**11439,40,23**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		6287,83,79	4538,17,61
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		1465,12,42	3985,83,93
	निवेश उतार-चढ़ाव निधि में अंतरण		1928,19,63	1119,88,09
	आय एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		(307,48,07)	3149,19,33
	चालू वर्ष के लिए डिविडेंड		3569,84,46	-
	डिविडेंड पर कर		3,65,16	8,05,52
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		8096,54,12	(1361,74,25)
	योग		**21043,71,51**	**11439,40,23**
	प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)		₹ 25.11	₹ 22.15
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 25.11	₹ 22.15
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी	**श्री स्वामीनाथन जे.**	**श्री अश्वनी भाटिया**	**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक (आईबी, टी एवं एस)	प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)	प्रबंध निदेशक (सीबी एवं जीएम)	प्रबंध निदेशक (आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष

श्री अल्पेश वाघेला

पार्टनर

सदस्य संख्या. : 142058

मुंबई

दिनांक : 21 मई 2021

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.202को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	176780,18,56	185494,19,47
II.	निवेशों पर आय	87130,62,06	74812,87,02
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	4541,42,58	3066,24,77
IV.	अन्य	9663,24,47	6478,34,28
योग		**278115,47,67**	**269851,65,54**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.202को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23566,55,62	23571,28,64
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) #	7504,45,40	9202,71,19
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(5,15,48)	-
IV.	पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(28,33,64)	(28,33,75)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2457,74,75	2581,57,85
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों से लाभांश	3,19,50	14,66,77
VII	वित्त पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	3915,36,49	4122,14,91
IX.	बीमा प्रीमियम आय (शुद्ध)	53162,60,19	43176,55,90
X.	बट्टे खाते में की गयी वसूली	10700,37,34	9568,52,52
XI.	विविध आय	5945,61,21	5949,85,35
योग		**107222,41,38**	**98158,99,38**

#निवेशों पर बिक्री पर निवल लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित ₹ 1,367.27 करोड़(पिछला वर्ष ₹ 5,781.56 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.202को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	143060,44,62	148136,84,44
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	6237,20,49	7191,76,51
III.	अन्य	6712,51,60	5795,18,91
योग		**156010,16,71**	**161123,79,86**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.202को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	54330,82,58	48850,54,27
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5557,13,72	5630,95,83
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	581,72,43	651,58,62
IV.	विज्ञापन व प्रचार	2458,63,07	2830,69,52
V.	(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों को छोड़कर)	3673,42,72	3631,44,29
	(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	37,63,64	30,11,56
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	13,26,40	11,15,54
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	285,25,22	256,01,79
VIII.	विधि प्रभार	401,91,78	488,83,43
IX.	डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि.	492,69,84	571,68,38
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	1116,49,53	1121,27,27
XI.	बीमा	4272,88,91	3235,50,89
XII.	क्रेडिट कार्ड परिचालन से जुड़े अन्य व्यय	1503,01,93	1542,56,89
XIII.	बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यय	58397,01,70	46728,77,49
XIV.	अन्य व्यय	17307,66,06	16200,40,53
योग		**150429,59,53**	**131781,56,30**

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि :

भारतीय स्टेट बैंक, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को व्यापक श्रेणी के उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने में लगा है। बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

भारतीय स्टेट बैंक समूह (एसबीआई समूह) में एसबीआई और 27 सहायक कंपनियां, 8 संयुक्त उद्यम और 17 सहयोगी शामिल हैं।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों अर्थात बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों एवं लागू करने की विधियों को नीचे दिया गया है।

ख. तैयार करने का आधार :

बैंक की लेखांकन एवं रिपोर्टिंग नीतियाँ भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, विनियामक मानदंड/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

भारतीय स्टेट बैंक समूह की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के वैधानिक दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में प्रचलित लेखा पद्धतियां शामिल हैं।

विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबद्ध देश के सांविधिक प्रावधान एवं स्थानीय क़ानून ज्यादा विवेकपूर्ण होने पर उनका अनुपालन किया जाएगा।

यदि वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को- आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. समेकन का आधार:

1 एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के निम्न के आधार पर तैयार किया गया है:

क भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख लेखा मानक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया लेनदेन, अवसूल लाभ/ हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमसः अक्षरसः समेकन किया गया है।

ग संयुक्त उद्यमों का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना" के अनुसार समानुपातिक समेकन पर किया गया है।

घ सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सेनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण के अनुसार किया गया है।

2 अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षितों के रूप में दिखाया गया है।

3 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क जिस तिथि को अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी राशि और,

ख मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय ओरक्षितियों/ हानि (इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार-चढ़ाव।

ङ महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण :

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेशों सहित अलाभकारी आस्तियों से आय (ख) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को लाभ तथा हानि खाते में (प्रयोज्य करों

और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि घटाने के बाद आरक्षित पूंजी खाते " में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों अधिग्रहण पर छूट को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

क. ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/मोचन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर इसे सतत आय आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है।

1.4 लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।

1.5 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.8 बैंक जब बैंक अपनी वितीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी को करता है, तो वह इसे अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

i. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.9 गैर बैंकिंग इकाइयां

मर्चेंट बैंकिंग

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्धवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय से शामिल किया गया है। अन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है। (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा के शर्तों के अनुसार, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्धवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप मे माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

ड. असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैंक अवधि के दौरान परिशोधित किया कया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या

समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टिरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता है। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एसीएफ) की गणना की गई है और अगले संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एसीफ के प्रोद्धवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। वैरिएबल बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन: प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं : पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटियों प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ड. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई सौधे अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. अधिग्रहण खर्च जैसे, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमाकिक देयता के गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमाकनकर्ता द्वारा की जाती है। गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है।

विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, मे आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से पीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अुनसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ड. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागते हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है। पुनर्बीमा एवं सहबीमा व्यवस्था से क्रमशः पुनर्बीमाकर्ताओं/सह-बीमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को एक साथ दावे के अंतर्गत लिया गया है। प्रबंधन के द्वारा तुलन पत्र की तिथि को पुनर्बीमा, निस्तारण मूल्य और अन्य प्राप्तियां बकाया दावा के रूप में प्रावधान किया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा वर्ष जिनके लिए उपचित हो गई है परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या
- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है, (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनआर), से सबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना के दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करते हैं।

न्यासी परिचालन :

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना

निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कही लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्यूत किए गए हैं।

ग. ऑनलाइन "बिल" सेवाओं से प्राप्त आय का निर्धारण तब किया जाता है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे आय निर्धारणों की निश्चितता इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर हो जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :

जब कभी भी सेवाएं प्रदान की जाती है, परियोजना प्रबंधन, और रखरखाव संविदाओं से प्राप्त आय को संविदा की अवधि के दौरान यथानुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय:

क. छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने के आधार पर राजस्व मापा जाता है और सेवाओं के प्रदर्शन पर मान्यता प्राप्त है।

ख. स्थिति की तैनाती से राजस्व या तो अवधि के दौरान जो सेवा या प्रदान की गई दरों और शर्तों समझौतों में निर्दिष्ट के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित लेनदेन की संख्या के आधार पर किया जाता है से अधिक मान्यता प्राप्त है

ग. आय प्राप्त लेकिन रखरखाव तैनाती अनुबंध के खाते द्वारा अर्जित नहीं माना जाता है राजस्व को आस्थगित किया और देनदारियों में शामिल किया जब तक कि राजस्व मान्यता मानदंड पूरा नहीं किया जाता है। अर्जित आय, लेकिन बिल नहीं किया गया, प्रदर्शन किए गए कार्य पर मान्यता प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अनुबंध की शर्तों के आधार पर बाद की अवधि में बिल किया जाता है ।

घ. मर्चेंट एक्वायरिंग की सेवाएं प्रदान करने के राजस्व को पूरी तरह से भरी हुई लागत और ऐसी लागतों पर चिह्नित करने के लिए मान्यता प्राप्त है

ङ राजस्व सीमा तक मान्यता प्राप्त है यह संभव है कि आर्थिक लाभ प्रवाह होगा और राजस्व मज़बूती से मापा जा सकता है

2. निवेश

निवेशों के वर्गीकरण एवं मूल्य निर्धारण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नीचे दिए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में लिया जाता है:

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. जिन निवेशों को बाद में बेच देने के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मूल्यांकन :

क. बैंकिंग व्यवसायः

1 सभी प्रतिभूतियों के लेनदेनों को निपटान की तिथि को दर्ज किया जाता है। एचएफटी/एएफएस श्रेणी से निवेश लागत का मूल्यांकन परिपक्वता तक धारित निवेश जिन्हें पहले आओ पहले जाओ आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर इनके लागत का निर्धारण भारित औसत लागत विधि पर किया जाता है।

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. **परिपक्वता तक धारित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:**

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है अभिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर आय" शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को आईसीएआई के लेखामानक 23 के आधार पर रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:**

एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह जैसे i सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर iv) बांड एवं ऋणपत्र v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य के लिए सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. **निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतर होने पर मूल्यांकन की नीति:**

क) एचटीएफ/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। एसी अंतरण पर मूल्यह्रास यदि कोई होने पर, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ख) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यह्रास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. **प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:**

क) प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

ग) प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अलाभकारी आस्तियों (वित्तीय आस्तियों) की बिक्री के मामले में प्रतिभूतिकरण कंपनी में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi) ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 निवेश (एनपीआई)

i. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) ईक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई/जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बाजार भागीदारों के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के करता है। प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा उधार ली गई निधियाँ रिवर्स रेपो लेनदेन होते हैं।

(क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधर देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) बाजार रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरेदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजही को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्यों रेपो लेनदेन उधार लेने की लागत एवं रेवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी का निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उद्भूत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ "आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)" में और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)" क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवाय भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ एवं हानि खाते मे शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूय पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान: :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियां :		
-प्रतिभूत हिस्सा :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष- 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक- 100%
-अप्रतिभूत हिस्सा	100%	
हानिप्रद आस्तियां :	100%	

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्रचित/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्रचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक विशिष्ट अनर्जक आस्तियों के लिए भी प्रावधान करता है।

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/बजाय

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर :

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा आप्शन, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य राशियाँ" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा किए गया प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यह्रास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता अवधि मूल्यह्रास
1	कंप्यूटर	3 वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	3 वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
5	सर्वर	4 वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
7	अन्य प्रमुख अचल आस्तियां :	
	परिसर	60 वर्ष
	वाहन	5 वर्ष
	सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
	फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतनों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है।

पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

1. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/वायदा))दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. उन विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम हाजिर दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. गैर-समाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वादा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जैसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है। बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

घ. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर प्रभार की कुल राशि आयकर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखामानक 22, जो "आय पर कर लेखा" से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है, जो तुलन पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में आगे तभी लिया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर पर खर्च मुख्य एवं अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा कर पर खर्च का लागू विनियमों के अनुरूप कुल योग है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो ईक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि:-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तभी किया जाता है, जब किसी संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी देयताओं की पूर्ति के अपरिहार्य व्ययों से कम हो। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लेता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यतः दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए

गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची 18 लेखा टिप्पणियां :

1. **उन अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है:**

1.1 27 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 17 एसोसिएट्स 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित जो वर्ष के दौरान विलय /एक्जिट की संबंधित तिथियों तक/ से (जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य संस्था के साथ-साथ समूह का गठन) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में शामिल किया गया है, वे हैं

क. अनुषंगियाँ :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह की हिस्सेदारी का (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष *
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	72.17	72.17
7)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
8)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	74.00	74.00
11)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	92.58	92.60
12)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	55.50	57.60
13)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड @	भारत	70.00	70.00
14)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	69.39	69.51
15)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	65.00	65.00
16)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	62.88	63.00
17)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मॉरीशस	62.88	63.00
18)	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
19)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	100.00	100.00
20)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
21)	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
22)	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	100.00
23)	भारतीय स्टेट बैंक सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	100.00	100.00
24)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
25)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00
27)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के संदर्भ में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं। हालाँकि, इन्हें एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सहायक कंपनियों के रूप में समेकित किया गया है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

* पिछले साल एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड (सब्सिडियरी) भी समेकित, जिसका संचालन 30.11.2019 को बंद कर दिया गया था .

ख. संयुक्त उद्यम:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी का (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रालि लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि..	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बेरमुड़ा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	30.00	30.00

ग. सहयोगी:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी का (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	एलाकाई देहती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	20.05	20.05
16)	यस बैंक लिमिटेड	भारत	30.04	48.21
17)	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	20.00	20.00

* पिछले वर्ष में, पूर्वांचल बैंक भी समेकित हुआ। इन्हें एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं किए गए आरआरबी में विलय कर दिया गया है. कृपया नीचे नोट नंबर 1.1(च) देखें जिसमें एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) के विलय से संबंधित विवरण है।

क. जुलाई 2020 के महीने में, एसबीआई और उसकी सहायक कंपनी ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से यस बैंक लिमिटेड (एक सहयोगी) के इक्विटी शेयरों में ₹ 3,176 करोड़ का निवेश किया है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बाद यस बैंक लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 34.71 फिसदी रह गई। एएस 23 की आवश्यकताओं के अनुसार, यस बैंक लिमिटेड की शुद्ध संपत्ति में निवेश की गई राशि और एसबीआई समूह की हिस्सेदारी में वृद्धि के बीच अंतर को पूंजी आरक्षित में समायोजित किया गया है।

इसके बाद, एसबीआई की सहायक कंपनी ने यस बैंक लिमिटेड के शेयरों का एक निश्चित हिस्सा बेच दिया है। यस बैंक लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2021 को 30.04% है। यस बैंक लिमिटेड में शेयरों की बिक्री का प्रभाव 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में हुआ है।

ख. जून 2020 के महीने में, एसबीआई ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सब्सिडरी) में अपनी 2.10% हिस्सेदारी बेची। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 57.60% से घटकर 55.50% हो गई है।

ग. अनुमोदित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के तहत विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में, निम्नलिखित समूह संस्थाओं ने अपने पात्र कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी किए हैं:

क. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1.57 करोड़ की राशि के 15,68,662 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 69.51% से घटकर 69.39% हो गई है।

ख. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 0.09 करोड़ की राशि के 9,24,692 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।. नतीजतन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 63.00% से घटकर 62.88% हो गई है। नतीजतन, अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी क्रमशः 62.88% और 92.58% तक कम हो गई है।

ग. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 0.04 करोड़ की राशि के 44,613 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 0.001% कम हो गई है।

घ. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई ने निम्नलिखित संस्थाओं में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है:

क. भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया), सब्सिडरी कंपनी में 0.32 करोड़;

ख. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, एक सहयोगी में ₹ 5.31 करोड़।

उक्त पूंजी डालने के बाद भी एसबीआई समूह की हिस्सेदारी वही रहती है।

ङ. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड में 50 मिलियन जीबीपी की टियर -2 पूंजी को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया था।

च. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी के बीच निम्नलिखित समामेलन हुआ है:

	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी का प्रयोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	बड़ोदा उत्तरप्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बड़ौदा यूपी बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	अप्रैल 01, 2020
2.	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			
3.	पूर्वांचल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के दिनांक 08 जुलाई, 2019 के पत्र के अनुसार, प्रायोजक बैंकों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण शेयरों के अंकित मूल्य पर हुआ है और इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, रुपये का नुकसान हुआ है। 254.41 करोड़ को समेकित वित्तीय विवरणों में "अन्य आय" शीर्ष के तहत मान्यता दी गई है।

छ. एसबीआईसीएपी (सिंगापुर) लिमिटेड और बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड के वित्तीय विवरण असतत आधार पर तैयार किए गए हैं, हालांकि लेखांकन आधार को असतत आधार पर बदलने से वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। विवरण इस प्रकार है: -

- 25 मार्च, 2021 को, एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि कंपनी (i) सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) द्वारा जारी पूंजी बाजार सेवा लाइसेंस (सीएमएसएल) को सरेंडर करेगी। और (ii) सीएमएसएल के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदस्य के स्वैच्छिक समापन के माध्यम से व्यवसाय की समाप्ति की प्रक्रिया शुरू करना.
- बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 30 जून, 2021 तक अपने बैंकिंग लाइसेंस को सरेंडर करने और परिचालन बंद करने का इरादा रखती है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष के अनुसार, बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड ने अपने ग्राहक ऋण और अग्रिम और ग्राहक जमा देनदारियों को सामान्य बैंकिंग शर्तों पर इस तरह के हस्तांतरण से संबंधित किसी अन्य स्थानीय बैंक को अंततः भारत सरकार के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त सहायक कंपनियों की कुल संपत्ति, कुल आय और कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) निम्नानुसार है-

₹ करोड़ में

विवरण	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	एसबीआई सीएपी (सिंगापुर) लिमिटेड
कुल आस्तियां	60.24	81.44
कुल आय	1.54	9.59
कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	(4.17)	(1.07)

ज. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, एक सहयोगी जिसमें एसबीआई की 25.05% हिस्सेदारी है, परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

झ. चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के तहत शामिल], एसबीआई फाउंडेशन को लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।.

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2020-21 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहायक (एसबीआई कनाडा बैंक) और एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिसके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।.

2. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

2.1 लेखा मानक 5 - "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन "

- वर्ष के दौरान, मैटिरियल पूर्व अवधि आय/व्यय के कोई मद नहीं थे.
- पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2.2 लेखा मानक- 15 "कर्मचारी हित लाभ":

2.2.1नियत हितलाभ योजनाएं

2.2.1.1 कर्मचारी पेंशन योजनाएँ और ग्रेच्युटी योजनाएँ

निम्न तालिका लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के तहत आवश्यक परिभाषित लाभ पेंशन योजनाओं और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजना		ग्रैच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**1,09,830.37**	**95,362.15**	**13,090.13**	**12,378.30**
वर्तमान सेवा लागत	970.09	953.34	469.35	471.10
ब्याज लागत	7,501.41	7,428.71	893.87	960.76
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानि / (लाभ))	15,822.32	13,619.61	1,195.02	1,247.21
प्रदत्त लाभ	(3,475.67)	(3,914.34)	(1,920.72)	(1,967.24)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(4,842.15)	(3,619.10)	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**1,25,806.37**	**1,09,830.37**	**13,727.65**	**13,090.13**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2020 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**97,458.52**	**90,399.61**	**10,775.10**	**10,493.46**
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	6,656.42	7,015.01	735.81	815.36
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,100.68	2,407.68	1,277.03	1,183.65
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	0.28	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,475.67)	(3,914.34)	(1,920.72)	(1,967.24)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रैच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि	3,705.91	1,550.28	343.62	249.87
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**1,06,445.86**	**97,458.52**	**11,210.84**	**10,775.10**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2021 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,25,806.37	1,09,830.37	13,727.65	13,090.13
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	106,445.86	97,458.52	11,210.84	10,775.10
कमी/(अधिशेष)	19,360.51	12,371.85	2,516.81	2,315.03
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसपत्ति)	**19,360.51**	**12,371.85**	**2,516.81**	**2,315.03**
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	1,25,806.37	1,09,830.37	13,727.65	13,090.13
संपत्ति	1,06,445.86	97,458.52	11,210.84	10,775.10
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट लायबिलिटी / (एसेट)	19,360.51	12,371.85	2,516.81	2,315.03
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (संपत्ति)	**19,360.51**	**12,371.85**	**2,516.81**	**2,315.03**
शुद्ध लागत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है				
वर्तमान सेवा लागत	970.09	953.34	469.35	471.10
ब्याज लागत	7,501.41	7,428.71	893.87	960.76
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(6,656.42)	(7,015.01)	(735.81)	(815.36)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	(0.28)	-	-
विगत सेवा लागत (परिशोधित) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
विगत सेवा लागत (निहित लाभ) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष+	12,116.41	12,069.33	851.40	997.34
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**13,931.49**	**13,436.09**	**1,478.81**	**1,613.84**
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का सामंजस्य				
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित लाभ	6,656.42	7,015.01	735.81	815.36
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	3,705.91	1,550.28	343.62	249.87
योजना आस्ति पर वास्तविक लाभ	**10,362.33**	**8,565.29**	**1,079.43**	**1,065.23**
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/ (आस्ति)	**12,371.85**	**4,962.54**	**2,315.03**	**1,884.84**
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	13,931.49	13,436.09	1,478.81	1,613.84
एसबीआई द्वारा सीधे प्रदत्त	(4,842.15)	(3,619.10)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,100.68)	(2,407.68)	(1,277.03)	(1,183.65)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ आस्ति	**19,360.51**	**12,371.85**	**2,516.81**	**2,315.03**

31 मार्च, 2021 तक ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का%	योजना आस्तियों का%
केंद्र सरकार की प्रतिभूति	21.21%	18.02%
राज्य सरकार प्रतिभूति	38.68%	39.38%
डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट्स	30.01%	29.31%
ईटीएफ एवं म्यूचुअल फंड	6.43%	6.74%
बीमाकर्ता प्रबंधित फंड	1.85%	4.84%
अन्य लोग	1.82%	1.71%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.90%	6.83%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.90%	6.83%
वेतन वृद्धि दर	5.60%	5.40%
पेंशन वृद्धि दर	1.20%	0.80%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.82%	6.84%
वेतन वृद्धि दर	5.60%	5.40%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

अगले वर्ष के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में अपेक्षित योगदान क्रमश: 3,190.72 करोड़ रुपए और 1645.28 करोड़ रुपए है।

भारतीय स्टेट बैंक के मामले में चूँकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादनकर्ता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमोदित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

2.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन "निरंक" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।.

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती हैं::

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2020 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	**31,744.55**	**30,928.72**
वर्तमान सेवा लागत	3,320.40	1,045.98
ब्याज लागत	2,610.99	2,495.99
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	2,636.54	1,166.46
हस्तांतरित हुई देयता	51.85	220.06
प्रदत्त लाभ	(4,418.11)	(4,112.66)
31 मार्च 2021 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	**35,946.22**	**31,744.55**
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2020 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**32,648.72**	**32,630.54**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,610.99	2,495.99
अंशदान	5,956.94	2,212.43
अनर्जक निवेश की परिपक्वता पर हानि का प्रावधान	(60.59)	(467.66)
प्रदत्त हितलाभ	(4,418.11)	(4,112.66)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	298.44	(109.92)
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**37,036.39**	**32,648.72**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2021 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	35,946.22	31,744.55
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	37036.39	32,648.72
कमी/(अधिशेष)	(1,090.17)	(904.17)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	**(1,090.17)**	**904.17**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	3,320.40	1,045.98
ब्याज लागत	2,610.99	2,495.99
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,610.99)	(2,495.99)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	(11.58)	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।"	**3,308.82**	**1,045.98**
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	3,308.82	1045.98
नियोक्ता का अंशदान	(3,308.82)	(1045.98)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	**-**	**-**

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं::

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.53%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.42%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	30.86%
ईटीएफ़ और म्यूचुअल फंड	3.86%
अन्य	2.33%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.50%	8.50%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.60%	5.40%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्यनिधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगीः

   क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक; या

   ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भविष्य निधि जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी.

2.2.2 नियत अंशदान योजना

2.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 2.2.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए रु 47.48 करोड़ (पिछले वर्ष रु 47.66 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

1 अगस्त, 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना एनपीएस न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रु 648.17 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष रु 541.97 करोड़) था।

2.2.2.3 निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गये या बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्यनिधि की स्थिति को दर्शाता है:

₹ करोड़ में

क्र. सं.	दीर्घकालीक कर्मचारी हितलाभ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	भविष्य निधि अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना	32.54	28.33
2	नेशनल पेंशन सिस्टम	6.94	5.78
3	अन्य	10.05	8.41
योग		**49.53**	**42.52**

2.2.3 दीर्घकालीक कर्मचारी लाभ (वित्त रहित दायित्व) :

2.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियाँ दर्शाई गई हैं।

₹ करोड़ में

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	**7,542.15**	**6,876.64**
वर्तमान सेवा लागत	312.55	288.00
ब्याज लागत	515.56	534.13
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	1,225.32	772.70
प्रदत्त लाभ	(1,405.73)	(929.32)
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	**8,189.85**	**7,542.15**
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	312.55	288.00
ब्याज लागत	515.56	534.13
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	1,225.32	772.70
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत"	**2,053.43**	**1,594.83**
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	**7,542.15**	**6,876.64**
उपरोक्तानुसार व्यय	2,053.43	1,594.83
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(1,405.73)	(929.32)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**8,189.85**	**7,542.15**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
वेतन वृद्धि	5.60%	5.40%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाईयों को छोड़कर))

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा रुपए 52.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष 28.85 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उसके लिए प्रावधान शीर्ष' में शामिल किया गया है।

2.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ 38.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.17 करोड़) की राशि का प्रावधान/

(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

₹ करोड़ में

क्र सं	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	36.48	20.67
2	रुग्ण अवकाश	(0.02)	(0.26)
3	रजत जयंती दीर्घावधि सेवा अवार्ड	8.49	7.96
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(2.89)	1.01
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृति अवार्ड	(2.48)	(3.21)
योग		**39.58**	**26.17**

2.2.4 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हित लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

2.3 लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

2.3.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।.

ख. **कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग- :** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉरपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह तथा तनावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. **बीमा व्यवसाय -** बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय -** उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) द्वितीयक (भौगोलिक खंड) :

क) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय सहायक और संयुक्त उद्यम.

ख) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियां प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं और उधारियों के रूप में उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी वसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/ सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2.3.2 खंडवार सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड):

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व)	91,032.50	83,073.07	132,094.86	64,569.16	14,647.06	3,85,416.65
	(75,104.23)	(91,801.08)	(1,31,232.17)	(52,947.77)	(14,272.32)	(3,65,357.57)
गैर-आबंटित आय						1,651.31
						(168.15)
घटाएँ : अंतर खंडीय आय						3,097.34
						(3,296.63)
कुल आय						3,83,970.62
						(3,62,229.09)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)	14,393.01	5,273.34	9,511.41	2,337.97	3,952.10	35,467.83
	(9,202.09)	(-3,830.03)	(18,173.66)	(2,367.02)	(3,165.05)	(29,077.79)
जोड़ें : विशेष मदें	1,367.27					1,367.27
	(5,781.56)					(5,781.56)
परिणाम (विशेष मदों से पश्चात)	15,760.28	5,273.34	9,511.41	2,337.97	3,952.10	36,835.10
	(14,983.65)	(-3,830.03)	(18,173.66)	(2,367.02)	(3,165.05)	(34,859.35)
गैर-आबंटित आय (+) / व्यय (-) निवल						(-) 4,039.14
						(-4,542.76)
कर पूर्व लाभ / हानि						32,795.96
						(30,316.59)
कर						8,516.25
						(12,139.76)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल लाभ / (हानि) और अल्पांश हित						24,279.71
						(18,176.83)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						(-) 391.90
						(2,963.14)
घटाएँ : अल्पांश हित						1,482.36
						(1,372.17)
समूह के लिए निवल लाभ / हानि						22,405.45
						(19,767.80)
अन्य सूचना :						
खंड आस्तियां	14,52,023.37	12,21,624.66	18,19,067.05	2,37,323.29	46,307.46	47,76,345.83
	(11,35,750.90)	(12,00,452.76)	(15,83,362.39)	(1,74,612.94)	(43,899.44)	(41,38,078.43)
गैर आबंटित आस्तियां						69,272.72
						(59,413.91)
कुल आस्तियां						48,45,618.55
						(41,97,492.34)
खंड देयताएँ	13,15,938.88	11,85,545.78	16,99,537.03	2,24,101.85	32,314.42	44,57,437.96
	(10,08,550.01)	(11,77,433.80)	(14,78,049.72)	(1,63,726.93)	(32,442.25)	(38,60,202.71)
गैर आबंटित देयताएँ						1,12,619.03
						(86,229.51)
कुल देयताएं						45,70,056.99
						(39,46,432.22)

(i) **आय/ व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/ देयताएं 31 मार्च 2021 के लिए हैं।**

(ii) कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

₹ करोड़ में

	देशीय परिचालन		विदेशी परिचालन		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	3,72,005.60	3,44,982.70	11,965.02	17,246.39	**3,83,970.62**	**3,62,229.09**
निवल लाभ#	18,935.93	15,297.21	3,469.52	4,470.59	**22,405.45**	**19,767.80**
आस्तियां *	43,16,869.48	37,09,504.22	5,28,749.07	4,87,988.12	**48,45,618.55**	**41,97,492.34**
देयताएं *	40,48,986.49	34,65,172.72	5,21,070.50	4,81,259.50	**45,70,056.99**	**39,46,432.22**

आय / व्यय सम्पूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां / देयताएं 31 मार्च 2021 के लिए है।

* 31 मार्च 2021 के लिए .

2.4 लेखा मानक -18 "संबन्धित पक्षों का प्रकटन ":

2.4.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम :

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि..
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि..
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. द क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड.
3. यस बैंक लि.
4. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (06.10.2020 तक)
2. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष (07.10.2020 से)
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (06.10.2020 तक)
4. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (31.10.2020 तक)
5. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक
6. श्री अश्वनी भाटिया (24.08.2020 से)
7. श्री स्वामीनाथन जानकीरमन (28.01.2021 से)
8. श्री अश्विनी कुमार तिवारी (28.01.2021 से)

2.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

2.4.3 लेनदेन एवं शेष राशियां:

₹ करोड़ मे

विवरण	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण प्रबंधन निजी एवं संबंधी	योग
वर्ष 2020-21 के दौरान लेन-देन			
ब्याज आय	167.94	-	167.94
	(4.94)	(-)	(4.94)
ब्याज व्यय	18.58	-	18.58
	(0.82)	(-)	(0.82)
लाभांश से अर्जित आय	23.29	-	23.29
	(18.56)	(-)	(18.56)
अन्य आय	78.51	-	78.51
	(0.97)	(-)	(0.97)
अन्य व्यय	2.44	-	2.44
	(4.17)	(-)	(4.17)
जमीन/ भवन/ अन्य आस्तियों के विक्रय से आय	4.04	-	4.04
	(-)	(-)	(-)
प्रबंधन संविदा	37.94	1.50	39.44
	(3.77)	(1.38)	(5.15)
31 मार्च , 2021 तक बकाया			
उधारियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा	1,352.84	-	1,352.84
	(748.31)	(-)	(748.31)
अन्य देयताएँ	8.27	-	8.27
	(28.35)	(-)	(28.35)
मांग एवं अल्प सूचना पर बैंक के पास शेष धन	-	-	-
	(300.00)	(-)	(300.00)
निवेश	12,814.54	-	12,814.54
	(11,015.61)	(-)	(11,015.61)
अग्रिम	1,434.76	-	1,434.76
	(113.50)	(-)	(113.50)
अन्य आस्तियां	188.39	-	188.39
	(229.52)	(-)	(229.52)
नॉन फ़ंड कमिटमेंट (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10
	(-)	(-)	(-)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधारियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा	1,543.06	-	1,543.06
	(768.92)	(-)	(768.92)
अन्य देयताएँ	8.27	-	8.27
	(28.35)	(-)	(28.35)
मांग एवं अल्प सूचना पर बैंक के पास शेष धन	-	-	-
	(300.00)	(-)	(300.00)
अग्रिम	17,763.35	-	17,763.35
	(113.50)	(-)	(113.50)
निवेश	14,551.41	-	14,551.41
	(11,015.61)	(-)	(11,015.61)
अन्य आस्तियां	188.39	-	188.39
	(229.52)	(-)	(229.52)
नॉन फ़ंड कमिटमेंट (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10
	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठक मे दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान कोई भौतिक महत्वपूर्ण पार्टी लेन-देन नहीं है।

2.5 लेखा मानक -19 "पट्टे ":

2.5.1 वित्तीय पट्टा

01 अप्रैल 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियां:

वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	51.02	42.59
1 से 5 वर्ष	105.91	105.50
5 वर्ष और उससे अधिक	31.14	28.47
योग	**188.07**	**176.56**
ब्याज लागत देय राशियाँ		
1 वर्ष से कम	8.30	8.86
1 से 5 वर्ष	15.96	14.72
5 वर्ष और उससे अधिक	11.52	3.69
योग	**35.78**	**27.27**
न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	42.72	33.73
1 से 5 वर्ष	89.95	90.78
5 वर्ष और उससे अधिक	19.62	24.78
योग	**152.29**	**149.29**

2.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं। रद्द होने योग्य गैर परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
1 साल के बाद का नहीं	121.98	165.73
1 से 5 वर्ष	203.77	496.10
5 वर्ष और उससे अधिक	33.55	112.22
योग	**359.30**	**774.05**

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि रू 4,847.29 करोड़ (पिछले वर्ष 3,556.87 करोड़).

2.6 लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर उपार्जन":

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	Nil	Nil
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
समूह के लिए निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़ में))	22,405.45	19,767.80
प्रति शेयर मूल आय (₹)	25.11	22.15
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	25.11	22.15
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

2.7 लेखा मानक- 22 "आय पर कर का लेखांकन":

i) बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹3,748.99 करोड़ आस्थगित कर के रूप में जमा किए हैं। (पिछले वर्ष ₹7502.08 करोड़ नामे किया गया)

ii) आस्थगित कर की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

₹ करोड़ मे

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	7,975.13	6,468.85
अग्रिमों के लिए प्रावधान	4,125.04	3,067.95
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	3,115.56	665.72
बट्टे का परिशोधन संचित हानि पर	36.80	105.22
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	759.10	809.99
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	230.35	146.56
डीटीए भा.स्टे. बैंक के विदेशी कार्यालयों से	275.67	253.16
अन्य	171.79	180.50
योग	**16,689.44**	**11,697.95**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	38.30	96.86
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	5,744.73	4,563.17
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,656.53	3,531.63
डीटीएल विदेशी कार्यालयों से	2.46	6.16
अन्य	6.33	6.54
योग	**9,448.35**	**8,204.36**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**7,241.09**	**3,493.59**

iii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान को मानते हुए एसबीआई और कुछ समूह संस्थाओं ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमत न्यूनतम टैक्स दर के विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, एसबीआई और कुछ समूह संस्थाओं ने उक्त खंड में निर्धारित टैक्स दर के आधार पर 31 मार्च, 2019 को अपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को फिर से मापा है और मैट क्रेडिट को रिवर्स किया है। अब अपने पास नहीं रखा है। इन बदलावों का असर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 3,166.37 करोड़ रुपये (शुद्ध अल्पांश ब्याज) का एकमुश्त चार्ज है जो समूह के कर खर्ची में शामिल है।.

2.8 लेखा मानक -28 " आस्तियों की क्षति ":

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

2.9 लेखा मानक - 29 " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ "

➢ **लाभ और हानि खाते में शामिल की गई प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का विवरण :**

प्रावधानों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है::

₹ करोड़ मे

क्र सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	12,278.08	4,372.77
	- आस्थगित कर	(3,748.99)	7,502.08
	- आयकर का प्रतिलेखन	(12.84)	264.91
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	29,758.90	44,072.90
ग)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(26.25)	(224.01)
घ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	3,601.32	(291.37)
ङ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	2,820.99	628.11
च)	अन्य प्रावधान	9,947.20	603.07
योग		**54,618.41**	**56,928.46**

(कोष्ठक के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

➢ **अस्थिर प्रावधान :**

₹ करोड़ मे

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक अधिशेष	193.75	193.75
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	**इतिशेष**	**193.75**	**193.75**

➢ **आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक-29):**

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक एवं उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष होते हैं। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।.
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ऑप्शंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :**

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव नीचे टेबल में दिया गया है :

₹ करोड़ मे

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक अधिशेष	633.72	534.75
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,981.19	137.34
ग)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	68.47	7.13
घ)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	111.43	31.24
ङ)	इतिशेष	**3,435.01**	**633.72**

3. समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

4. आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर बीपीसी संख्या 32/21 01.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त आकलित प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ के 10% से अधिक है और/या अतिरिक्त अवधि के लिए प्रकाट वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है तो बैंकों को आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से भिन्नता का खुलासा करना आवश्यक है.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विचलन के संबंध में एसबीआई के लिए अलग से कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उपर्युक्त सीमा से परे नहीं है.

5. 27 मार्च, 2020 और 23 मई, 2020 के आरबीआई के परिपत्रों में निहित निर्देशों के अनुसार, एसबीआई ने सभी क्षेत्रों के सभी उधारकर्ताओं के लिए स्थगन को बढ़ा दिया है।. 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी. बीसी.63/21.04.048/2019-20 के अनुसार, कोविड-19 नियामक पैकेज के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है:

₹ करोड़ मे

विवरण	राशि
संबंधित राशियां, जहां स्थगन/स्थगन (31 अगस्त, 2020 तक बकाया) *(एक डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में, एसबीआई ने सभी पात्र ग्राहकों को यह स्थगन लाभ बढ़ाया)*	8,21,163.83
संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया जाता है (31 अगस्त, 2020 तक बकाया)	11,357.78
वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	1,172.00
वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	1,836.00
स्लिपेज और शेष प्रावधानों के लिए संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान	शून्य
31 मार्च 2021 को शेष प्रावधान (वित्त वर्ष 2020-21 की 3 और 4 तिमाही में प्रदत्त 3,338.00 करोड़ शामिल है)	6,346.00

6. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई 2021 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

7. दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर खातों के लिए आरबीआई के पत्र क्र डीबीआर सं बीपी 15199/ 21.04048 / 2016-17 क्रमश: दिनांकित 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 एसबीआई में 31 मार्च 2021 तक 4,479 करोड़ रुपए (कुल बकाये का 100%) का कुल प्रावधान किया है। (पिछले वर्ष कुल बकाये का 93.53%)

8. अनुसूची "अन्य आय" के तहत निवेश (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/ (हानि) में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 1,367.27 करोड़ रुपये शामिल हैं। (पिछले साल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 3,190.97 करोड़ रुपये और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 2,590.59 करोड़ रुपये।

9. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रस्ताव

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सं. बीपी. बीसी/ 3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 के विस्तृत रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अनुसार कोविड-19 के के लिए तनाव का आशय वर्ष के दौरान है:

उधारकर्ता का प्रकार	(क) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां संकल्प योजना लागू की गई है	(ख) (ए) में उल्लिखित खातों का योजना के कार्यान्वयन से पूर्व एक्सपोजर (रु करोड़ में)	(ग) (बी) की कुल ऋण राशि जिसे प्रतिभूति में परिवर्तित किया गया (रु करोड़ में)	(घ) अतिरिक्त निधियन संस्वीकृत, यदि कोई हो, योजना के कार्यान्वयन और लागू करने के बीच (रु करोड़ में)	(ङ) संकल्प योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि (रु करोड़ में)
वैयक्तिक ऋण	13,056	2,761.74	-	-	-
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	42,561	2,554.53	-	64.45	1,120.57
जिनमें से, एमएसएमई	42,555	1,779.35	-	-	33.91
अन्य	-	-	-	-	-
योग	**55,617**	**5,316.27**	**-**	**64.45**	**1,120.57**

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

10. दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में हालांकि चुनौतियां लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन एसबीआई इससे निपटने के लिए सभी मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। स्थिति अनिश्चितः बनी हुई है और एसबीआई सतत आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्रों, नकदी प्रवाह प्रवृत्तियों में उतार-चढ़ाव और उधारकर्ताओं की ऋणों के खिलाफ अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने में संभावित असमर्थता से हो सकती हैं। बैंक की परिसंपत्तियों पर संभावित दबाव की चुनौतियों के खिलाफ बैंक सक्रिय रूप से प्रावधान उपलब्ध करा रहा है। कोविड-19 के प्रभाव का एक निश्चित आकलन परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि वे बाद की अवधि में विकसित होते हैं।

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019-20/186 डीओआर. सं.बीपी. BC.47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020, अनुवर्ती अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 ने कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों से उत्पन्न ऋण चुकौती के बोझ को कम करने के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में भुगतान-टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल सुविधाओं का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना, विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) आदि के रूप में वर्गीकरण शामिल है। तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए है

बैंक ने अब उपलब्ध सूचना और उस पर किए गए विश्लेषण के संदर्भ में किए गए मूल्यांकन और मूल्यांकन के आधार पर कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव की दिशा में सक्रिय रूप से एक अतिरिक्त प्रावधान किया है। उक्त प्रावधान ऋण हानि के प्रावधानों के संबंध में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त है। उपर्युक्त आकलन के आधार पर, बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता या लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं कर रहा है.

11. उधारकर्ताओं पर कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले वित्तीय तनाव और चुकौती दबावों को कम करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि ब्याज / चक्रवृद्धि ब्याज / दंड पर ब्याज का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए ब्याज और इस तरह के ब्याज को संबंधित उधारकर्ताओं को ऋण राशि की अगली किस्त में क्रेडिट / समायोजित करने के लिए वापस किया जाएगा। तदनुसार, एसबीआई ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज आय में ₹ 830 करोड़ की वापसी की है।

12. आरबीआई सर्कुलरआरबीआई/2015-16/376 डीबीआर नं. BP.BC। 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान 18 अप्रैल, 2016 को 92/21.048/2015-16 को धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिम खाते के संबंध में एसबीआई ने आरबीआई द्वारा अनुमत चार तिमाहियों में धोखाधड़ी का प्रावधान करने के लिए चुना था। हालांकि, एसबीआई ने 31 मार्च, 2020 को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की पहली तिमाही में ₹ 5,230.37 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि प्रदान की है।

13. एसबीआई ने 30 जून 2019 को अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है (पहले जून 2016 में पुनर्मूल्यांकन) बाहरी स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त रिपोर्टों और 31 मार्च, 2021 को पुनर्मूल्याकन रिजर्व के समापन शेष के आधार पर. (जनरल) रिजर्व को हस्तांतरित राशि का शुद्ध) 23,577.35 करोड़ रुपये पिछले साल 23,762.67 करोड़ रुपये) है।

14. वर्ष के दौरान, एसबीआई ने 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वें द्विपक्षीय वेतन निपटान से उत्पन्न ₹ 5,353.50 करोड़ को हिसाब में लिया है।

15. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 (1) के तहत आदेश संख्या आईआरडीए / लाइफ ओआरटी /विविध/228/10/212 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 द्वारा मास्टर पॉलिसी धारकों को भुगतान किए जाने वाले गए प्रशासनिक शुल्क 84.32 करोड रुपए पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपए) को वितरित करने के निर्देश जारी किए है। कंपनी ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ उक्त आदेश के खिलाफ

अपील दायर की थी, जिसने 04 नवंबर, 2015 को मामले को आईआरडीएआई को वापस किया। आईआरडीएआई ने 5 अक्तूबर, 2012 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए 11 जनवरी, 2017 को और निर्देश जारी किए कंपनी ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के साथ उक्त निर्देशों/आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है। कंपनी ने उक्त निर्देशों/आदेशों के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील दायर की है, जिसे एसएटी ने 7 अप्रैल, 2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। कंपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील भरने की प्रक्रिया में है। कानूनी सलाहकार के परामर्श से उक्त एसएटी के आदेश को चुनौती दी है।

उपर्युक्त मामले में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कंपनी की वित्तीय राशि में आकस्मिक देयता के रूप में एक अपेक्षित राशि दिखाई है।.

16. एसबीआई द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार इसे फिर से बताने के बजाय आईआरडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जीवन और सामान्य बीमा सहायक कंपनियों के निवेश का हिसाब लगाया गया है। बीमा सहायक कंपनियों का 31 मार्च, 2021 तक कुल निवेश लगभग 14.43% है (पिछले वर्ष 13.34%)

17. एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 4 रुपये प्रति शेयर @ 400% का लाभांश 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए घोषित किया है।.

18. आरबीआई परिपत्र डीबीओडी स. बीपी बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के अनुसार मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हो) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

19. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा को दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।.

20. आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था. पिछले वर्ष के आंकडों को पुन समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है। अत: पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए है।.

श्री अश्विनी कुमार तिवारी	**श्री स्वामीनाथन जे.**	**श्री अश्वनी भाटिया**	**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक (आईबी, टी एवं एस)	प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)	प्रबंध निदेशक (सीबी एवं जीएम)	प्रबंध निदेशक (आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष

श्री अल्पेश वाघेला

पार्टनर

सदस्य संख्या. : 142058

मुंबई

दिनांक : 21 मई 2021

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(000s को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ /(हानि) (अनुषंगियों के लाभ के हिस्से एवं अल्पांश हित सहित		30921,70,78	31907,55,94
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3711,06,36	3661,55,85
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		28,33,64	28,33,75
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		5,15,48	-
सहयोगियो, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(1323,43,00)	(5573,62,96)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		29732,65,29	43848,89,01
मानक आस्तियों पर प्रावधान		3601,32,26	(291,36,52)
निवेशों पर मूल्यह्रास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान		2820,98,83	626,52,21
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		9947,19,49	604,65,49
सहयोगियो, के लाभ में हिस्सेदारी		391,90,45	(2963,14,04)
सहयोगियो से प्राप्त लाभांश		(3,19,50)	(14,66,77)
पूंजीगत लिखतों पर पी एडं एल से प्रदत्त ब्याज		5900,31,21	4908,09,07
		85734,01,29	**76742,81,03**
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		441170,61,63	333619,56,43
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		90438,85,18	(89342,80,87)
निवेशों मे वृद्धि / (कमी) अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर		(368800,15,43)	(100670,42,40)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(156020,45,83)	(191306,40,41)
अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी)		67465,50,14	31602,72,76
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(66249,94,63)	(21857,44,26)
		93738,42,35	**38788,02,28**
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(3819,49,34)	(14859,49,11)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(क)	**89918,93,01**	**23928,53,17**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(1234,82,60)	(6031,06,06)
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		1323,43,00	5573,62,96
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश		3,19,50	14,66,77
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(3828,02,03)	(3065,01,13)
समेकन से गुडविल में (वृद्धि) / कमी		(59)	184,08,19
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ख)	**(3736,22,72)**	**(3323,69,27)**

(000s को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (शेयर जारी करने से संबंधित व्यय छोड़कर)		-	-
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / (मोचन) (निवल)		10533,33,60	8495,81,80
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(5069,10,88)	(4908,09,07)
कर सहित प्रदत्त लाभांश		-	-
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(3,65,16)	(65,04,00)
अल्पांश हितों में वृद्धि/ कमी		1682,09,46	1906,83,07
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**7142,67,02**	**5429,51,80**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**66,39,90**	**2768,64,27**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**93391,77,21**	**28802,99,97**
01 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**254315,26,36**	**225512,26,39**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**347707,03,57**	**254315,26,36**
नोट :			
1. नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थितिः		**31.03.2021**	**31.03.2020**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		213498,61,59	166968,46,05
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		134208,41,98	87346,80,31
योग		**347707,03,57**	**254315,26,36**
2. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया।			

श्री अश्विनी कुमार तिवारी	**श्री स्वामीनाथन जे.**	**श्री अश्वनी भाटिया**	**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक (आईबी. टी एवं एस)	प्रबंध निदेशक (आर. सी एवं एसएआरजी)	प्रबंध निदेशक (सीबी एवं जीएम)	प्रबंध निदेशक (आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री अल्पेश वाघेला
पार्टनर
सदस्य संख्या. : 142058

मुंबई
दिनांक : 21 मई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल,
भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड,
मुंबई-400021

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 के समेकित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

   क) बैंक के स्टैंडअलोन लेखा परीक्षित परिणाम जिनकी लेखा-परीक्षा सभी 14 केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है जिनमें हम भी शामिल हैं;

   ख) 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त नियंत्रित इकाइयों और 16 सहयोगियों (14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है (अनुलग्नक अ में सूचीबद्ध); और

   ग) 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी (अनुलग्नक अ में सूचीबद्ध) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

   बैंक के उपरोक्त संस्थानों को 'समूह' के संदर्भ में लिया गया है।

   हमारी राय में और हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर तथा अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं और जो निम्नानुसार प्रस्तुत करतें हैं-

   क) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के मामले में समेकित तुलन पत्र में समूह की सही और उचित स्थिति;

   ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

   ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में परिभाषित किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हम समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुरूप किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, अपना अभिमत देने के लिए वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर बल

3. कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट नंबर 18.10 (28) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है ।

   इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में किस प्रकार मामलों का समाधान किया गया
बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले		
I	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (संदर्भ: वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पठित अनुसूची 9) अग्रिमों में खरीदे और भुनाए गए बिल, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण शामिल है। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा आवृत्त मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिमों सहित) एवं अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 51.61% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं जो विदेशी कार्यालयों के मामले के अलावा अग्रिमों के अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश उपलब्ध करवाते हैं। अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उनका प्रावधानीकरण स्थानीय विनियमनों अथवा आरबीआई दिशानिर्देशों, जो भी अधिक कड़े हों, के आधार पर किया जाता है। बैंक अनुसूची 17 के नोट 3 के अनुसार आईआरसी मानकों के आधार पर इन अग्रिमों का वर्गीकरण करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित व्यवस्था लागू करना शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में लेखाबद्ध करता है जिसमें अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती है। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधानों का निवल) अलग-अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और शेष की भौतिकता के कारण ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित रही।	आईआरएसी मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय- समय पर जारी अन्य संबंधित परिपत्रों/ दिशानिर्देशों और साथ ही बैंक की आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के संदर्भ में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित की जांच भी शामिल है- क) हमें आबंटित शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता; ख) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्रों की उपलब्धता और प्रभावशीलता। ग) आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ न्यायिक निर्णयों के अनुपालन के संबंध में सैंपल आधार पर दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच। घ) एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान, उसे चिह्नित करने तथा इसी संबंध में उसके लिए प्रावधान करने के लिए सीबीएस में कारोबार तर्क/ मानदंडों के संबंध में हम बाहरी आईटी सिस्टम लेखा परीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भी निर्भर रहे। ङ) ऊपर उल्लिखित आरबीआई परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के सॉफ्टवेयर में अग्रिमों की मैपिंग की जांच की। च) हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के कारगर होने की भी जांच की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; छ) हमें लेखापरीक्षा के लिए आबंटित शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है। ज) हमने एनपीए की पहचान करने, आय के अनुरूप व्युतक्रम तथा प्रावधान सृजन की प्रक्रिया का मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया। झ) हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार भी किया।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में किस प्रकार मामलों का समाधान किया गया
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 2 के के साथ पठित अनुसूची 8) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सिक्योरिटी प्राप्ति और अन्य अनुमोदित सिक्योरिटीज में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 32.90% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। आरबीआई से यह दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ साथ निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता तथा उसके विरुद्ध प्रावधान को आवृत करते हैं। उपरोक्त सेक्युरिटीज के प्रत्येक वर्ग (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों तथा निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/ एनएसई पर उल्लिखित दरों, गैर-सूचिबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि विभिन्न स्रोतों से डाटा/ सूचना का संग्रहण शामिल है। मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, हस्तगत निवेश तथा विनियामक ध्यान की मात्रा की जटिलताओं और इसमें शामिल विवेक प्रयोग को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान और अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान पर केंद्रित है।	आरबीआई परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के संदर्भ में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों के संबंध में प्रावधानीकरण/ मूल्यह्रास से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से - क. एनपीआई के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान, निवेशों के संबंध में प्रावधानीकरण/ मूल्याह्रास के संदर्भ में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया तथा उसे समझा। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए हमने सेक्युरिटी के प्रत्येक वर्ग का मूल्यांकन फिर से करते हुए हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों तथा निदेशों के साथ यथार्थता तथा अनुपालन की जांच की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी व्युत्क्रम एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जाँच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।
iii	प्रावधानों का निर्धारण एवं आकस्मिक देयताएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर द्वारा फाइल किए गए कुछ दावों के संबंध में, अन्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है। (अनुसूची 18 के नोट 2.9 के साथ पठित अनुसूची 12) प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक होता है, बैंक के आकलन के साथ साथ मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के विवेक, पूर्व अनुभव तथा विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा दर्ज लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन मामलों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता, जहां कानून की व्याख्या में विवेक के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है, को देखते हुए हमने इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा समीक्षाधीन विषय के विश्लेषण और विधि निर्णयों/ विश्लेषणों पर केंद्रित है।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल हैः क. परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों के समझना। ख. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ग. विभिन्न कर प्राधिकारियों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और/ अथवा हाल के आदेशों और बैंक द्वारा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का अध्ययन। घ. प्रस्तुत दलीलों के संदर्भ में समीक्षाधीन विषय की वरीयता तथा उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/ कर परामर्श का मूल्यांकन जिसमें हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। ङ. समीक्षाधीन विषय का विवरण एकत्रित करने, चर्चा करने के माध्यम से बैंक की दलीलों के मूल्यांकन, संभावित परिणाम और परिणाम स्वरूप उन मामलों के संभावित आउटफ्लो की समीक्षा। च. महत्वपूर्ण दावों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में किस प्रकार मामलों का समाधान किया गया
iv	जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए की गई संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जारी कोविड-19 महामारी, कुछ राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन तथा हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान राज्य सरकारों/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों और व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति संभव न होने की स्थिति में दूरस्थ माध्यम से लेखा परीक्षा करवाने के लिए बैंक को मिले आरबीआई दिशानिर्देशों के कारण, बैंक की कुछ शाखाओं, स्थानीय प्रधान कार्यालयों/ कॉरपोरेट कार्यालय की कुछ व्यवसाय इकाइयों का दौरा कर लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से, शाखाओं/ मंडलों/ प्रशासनिक/ कॉरपोरेट कार्यालयों के अधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए हमने इस संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रिया को महत्पूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना है। तदनुसार लेखा परीक्षा को दूरस्थ माध्यम से करने के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को संशोधित किया गया।	कोविड-19 महामारी फैलने के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, तथा हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र तथा राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य यात्रा प्रतिबंधों के कारण हम शाखाओं/ मंडल/ प्रशासनिक/ कॉरपोरेट कार्यालयों तक यात्रा नहीं कर सके तथा उन कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से लेखा परीक्षा नहीं कर सके। जहां कहीं भी व्यक्तिगत उपस्थिति संभव नहीं वहां से बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल, सीबीएस के रीमोट एक्सेस तथा अन्य प्रासंगिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेज/ प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार वर्तमान अवधि के लिए लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में हमें उपलब्ध करवाए गए इन दस्तावेजों, रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट्स पर निर्भर रहे तथा इन्हीं के आधार पर लेखा परीक्षा की गई। तदनुसार हमने हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखत संशोधन किए - क. बैंक की कुछ शाखाओं/ स्थानीय प्रधान कार्यालयों/ प्रशासनिक कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों, जहां व्यक्तिगत पहुंच संभव नहीं थी, में रिमोट एक्सेस, ईमेल आदि के माध्यम से रिकॉर्ड/ दस्तावेजों/ सीबीएस/ सीसीडीपी तथा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का इलेक्ट्रानिक सत्यापन किया। ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क में ईमेल तथा रीमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों, करारों, प्रमाण पत्रों तथा संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन किया। ग. फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल तथा ऐसे ही संचार माध्यमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चर्चा तथा वार्तालाप से पूछताछ की तथा आवश्यक लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाए। घ. संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत भेंट के बजाए फोन/ ईमेल के माध्यम से हमारे लेखा परीक्षा अवलोकनों का समाधान किया।
एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट अनुसार महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले		
v	प्रतिदिन भारी संख्या में होने वाले लेनदेनों के कारण सभी बीमा कंपनियां प्रोद्योगिकी पर अत्यंत निर्भर हैं। लेनदेनों की कैप्चरिंग, मूल्यांकन तथा रिकॉर्डिंग पर ऑटोमेटेड प्रोसेस तथा नियंत्रण के साथ कंपनी की वित्तीय प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए यहाँ एक जोखिम भी है कि आईटी कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंतर के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन तथा रिपोर्टिंग रिकॉर्ड का अशुद्ध वर्णन हो सकता है। अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी कई सिस्टम इस्तेमाल करती है। आईटी सिस्टम के महत्वपूर्ण इस्तेमाल तथा आईटी संरचना की प्रमात्रा और जटिलता के कारण हमने "आईटी सिस्टम तथा नियंत्रण" को महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं- • वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले आईटी सिस्टम पर प्रमुख नियंत्रण की सैंपल जांच • सैंपल जांच से वित्तीय लेखांकन तथा रिपोर्टिंग रिकॉर्ड से संबंध में कुछ प्रमुख नियंत्रणों की प्रभावशीलता जांचने के लिए आईटी सिस्टम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया। तथा • हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण ऑटोमेटेड नियंत्रणों पर निर्भर है तथा इसलिए प्रक्रियाओं को आईटी सिस्टम पर नियंत्रण की जांच, प्रमुख वित्तीय लेखांकन रिपोर्टिंग सिस्टम में दायित्वों, इंटरफेस तथा सिस्टम एप्लीकेशन कंट्रोल के पृथक्करण पर नियंत्रण की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। • स्वतंत्र सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की जिसने कंपनी द्वारा अपनाए गए विभिन्न सिस्टम कंट्रोल उपायों की पुष्टि की है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचना

5. अन्य सूचना तैयार के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें बैंक के समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के समय प्राप्त की जाएगी, और वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नकों, यदि कोई हो, सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, जो हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की दिनांक के बाद उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना तथा बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हम बैंक की निदेशक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नकों, यदि कोई हो, सहित पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों को देनी होगी।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों और प्रबंधन के दायित्व

6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक 23 "एसोशिएट में निवेश के समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखा मानक 27- "संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा पहचान के लिए प्रयोज्य कानूनों की शर्तों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोजन, औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यान्वित थे, तथा जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वस्तुगत गलतबयानी से मुक्त सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक हो।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संबंधित निदेशक मंडल का दायित्व है कि वह संबंधित समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक समूह का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

ऐसे प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना भी है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और यदि अलग या समग्र रूप से यह समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालता है तो उन्हें ठोस माना जाएगा।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं

या परिस्थितियों के कारण बैंक सु-नाम संस्थान के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत प्रकट करने के लिए समूह के भीतर तथा इसके एसोसिएट्स तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं तथा जिनकी वित्तीय सूचना की हमने लेखा परीक्षा की है, की इकाइयों अथवा कारोबार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करना। हम इस प्रकार की इकाइयों, जो उन समेकित विवरणों में शामिल हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निदेशन, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए हम उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य इकाइयों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, वे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निदेशन, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम केवल हमारी लेखा परीक्षा के अभिमत के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से की गई गलत बयानी की मात्रा की गंभीरता से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार उपयोगकर्ता संभवतः प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी हो।

गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को जिन मामलों की जानकारी दी जाती है, उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करतें हैं इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते हैं बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया हैः

क) हमने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार, बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में शामिल 10842 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्ताय विवरण/ वित्तीय सूचना में 31 मार्च 2021 के अनुसार रु 34,44,485 करोड़ की कुल आस्तियों और रु. 2,83,673 करोड़ की कुल आय परिलक्षित होती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) हमने 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2021 को रु. 328,891.56 करोड़ की कुल आस्तियां तथा रु. 81,067.73 करोड़ की कुल आय परिलक्षित होती है, जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में समूह के 16 सहयोगियों के रु 664.98 करोड़ की निवल हानि की हिस्सेदारी भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग) हमने एक अनुषंगी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को रु 7604.08 करोड़ की कुल आस्तियों तथा तथा रु 236.33 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि वित्तीय विवरण में माना गया है एक एसोसिएट, जिसके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 2.02 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि के समूह शेयर समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है। यह वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित नहीं हैं तथा यह हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन अनुषंगियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षण रहित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

हमारे अभिमत में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

9 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड समूह की सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि विद्यमान जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और दावों के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया (IBNR) और दावे किए नहीं गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNER) मामले कंपनी के नियुक्त बीमांकक ("नियुक्त बीमांकिक") की जिम्मेदारी है। विद्यमान जीवन पॉलिसियों के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और उन नीतियों के लिए जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता 31 मार्च, 2021 तक मौजूद है, को नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ("IRDAI"/ "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार किया गया है। हमने इस संबंध में लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर और उन पॉलिसियों के लिए जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है, अपनी राय बनाने के लिए नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है; और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और उसके तहत विनियमों के आधार पर दी जाने वाली आवश्यक जानकारी निम्नानुसार देते हैं।

    उपरोक्त पैराग्राफ 5 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा आवश्यक है, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    क) हमारे लेखा परीक्षा के लिए सभी जानकारी और स्पष्टीकरण जो, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, आवश्यक थे प्राप्त किया गया है और उन्हें संतोषजनक पाया गया है,

    ख) बैंक के लेन-देन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; तथा

    ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

    क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा खाते रखी गई हैं और उन खातों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जाँच के आधार पर यह पाया गया है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं की रिपोर्टों के लिए भी वह पर्याप्त है;

    ख) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाते की किताबों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

    सी) शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्टों की बैंक की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार हमें जाँ के लिए भेजी गई है और उनके द्वारा लेखापरीक्षा ठीक से की गई है जिसका इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा संज्ञान लिया गया; तथा

    घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं ।

12. पत्र सं. डीओएस. एआरजी. सं.6270/08.91.001/ 2019- 20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार अपेक्षित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019 - 20, एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के संवाद के साथ पढ़ें, हम आगे रिपोर्ट करते हैं मामलों के रूप में उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट के तहत :

    क) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

    ख) 31 मार्च, 2021 तक बैंक के निदेशकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया और अनुषंगियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सहयोगी कंपनियों और भारत में समूह की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं घोषित किया गया।

    ग) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

    घ) पैरा 1.14 के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर तकनीकी गाइड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी और पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नहीं। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर वित्तीय रिपर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 105049W

अल्पेश वाघेला
पार्टनर

सदस्यता संख्या 142058

UDIN: 21142058AAAAABG3977

स्थान - मुंबई
दिनांक - 21 मई, 2021